प्रेस नोट **06/09/2022**

मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी व मन्ना सिंह हत्याकांड में सह–अभियुक्त, कोयला माफिया व त्रिदेव ग्रुप के मालिक उमेश सिंह की 46 करोड़ 71 लाख 19 हजार 180 रूपये कीमती भूखण्ड व उस पर बना दो मंजिला मकान, 14(1) गैंगस्टर एक्ट की तहत मऊ पुलिस द्वारा किया गया जब्त–

जनपद मऊ पुलिस के द्वारा आपराधिक माफिया व उनके गुर्गों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 06.09.2022 को भारी पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी व मुख्तार अंसारी के साथ मन्ना सिंह हत्याकांड 2009 में सह अभियुक्त रहे त्रिदेव कंस्ट्रक्शन/त्रिदेव कोल डिपो/त्रिदेव ग्रुप के मालिक कोयला माफिया उमेश सिंह पुत्र स्व0 रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद थाना सरायलखंसी जनपद मऊ की अपने व अपने पत्नी शीला सिंह के नाम मौजा भुजौटी स्थित आराजी संख्या 13 व 17 का कुल रकबा 1530.9 वर्गमीटर व 597 कड़ी जमीन व उस पर बना दो मंजिला मकान जिसका सम्मिलित बाजार मूल्य 46 करोड़ 71 लाख 19 हजार 180 रूपये है, को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कूर्क किया गया है। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 05.09.2022 को संस्तुती पत्र आख्या सहित जिलाधिकारी मऊ को प्रेषित किया गया जिसपर जिलाधिकारी मऊ द्वारा 06.09.2022 को उक्त अचल संपत्ति का कुर्क करने का आदेश जारी किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उमेश सिंह लगभग 03 दशकों से अपराध में सलिप्त है उसके उपर 1995 से 07 अभियोग पंजीकृत है। उक्त जमीन व मकान उमेश सिंह द्वारा अपने व अपने पत्नी शीला के नाम कय व निर्मित किया गया है। अभियुक्त व उसकी पत्नी शीला सिंह के वैध आय का कोई इतना बड़ा श्रोत नही था, जिससे उपरोक्त कीमती भूखण्ड खरीदा जा सके एवं उस पर इतना कीमती व भव्य दो मंजिला मकान का निमार्ण किया जा सके। उमेश सिंह की पत्नी शीला एक घरेलू महिला है तथा अपने पति पर ही पूर्णरूप से आश्रित है।

इससे पूर्व में उक्त उमेश सिंह की, धारा 14(1)गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुल कीमत 06 करोड़ 85 लाख 36 हजार 200 रूपये की चल/अचल सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है।

इस प्रकार उक्त उमेश सिंह की अब तक कुल लगभग 53 करोड़ 56 लाख 55 हजार 380 रूपये कीमत की चल/अचल सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है।

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बैटरी, सिलिंग फैन व अन्य समान तथा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद–

दिनांक 05.09.2022 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर निसार बाग खैराबाद से मु0अ0सं0 511/22 धारा 380 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण सलमान पुत्र कमरूजमा, निजामुद्दीन पुत्र स्व0 हिसामुद्दीन, हमजा पुत्र जहीर अनवर, इस्तियाक अहमद पुत्र इम्तियाज निवासीगण पश्चिमी खैराबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से चोरी का दो अदद बैटरी, दो अदद सिलिंग फैन, एक हैण्ड पंप का हत्था, तीन अदद प्लाटिक की टोटी, एक धुरमूस तथा एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 515/22 धारा 41,411,413 भादवि0 व पूर्व में पंजीकृत कर अभियोग में धारा 411 भादवि0 व उक्त सलमान पुत्र कमरूजमा के पास से बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद–</u>

थाना घोसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवां सराय मोड़ के पास से मु0अ0सं0 389/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त संजय जायसवाल पुत्र छेदीलाल निवासी हिराज पट्टी थाना मधुबन मऊ के कब्जे से 04 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 444/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।